

¹[नियम 109ग : अपील वापस लेना]

अपीलार्थी, धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी करने से पूर्व या उक्त उपधारा के अधीन आदेश जारी करने से पूर्व, जो भी पहले हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के संबंध में फाईल की गई किसी भी अपील को प्ररूप जीएसटी एपीएल-01/03 डब्ल्यू में एक आवेदन फाईल करके उक्त अपील को वापस ले सकेगा :

परंतु जहां प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभीस्वीकृति जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपीलीय प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील को वापस लेने के लिये ऐसे आवेदन को फाईल करने के 07 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जावेगा :

पपरंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में फाईल की गई कोई भी नई अपील धारा 107 की यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर फाईल की जाएगी।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 26/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा नियम 109ग अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)